



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बादपत्र संख्या 74/2025

दायर दिनांक 02.12.2025

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

बनाम्

..... वादी

1. खन्नी पुत्री भंवरलाल जाति रेगर सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 2. छीतरलाल पुत्र मोडूलाल जाति रेगर सा. कास्यां, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 3. सरजू पुत्री भंवरलाल जाति रेगर सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 4. सीताराम पुत्र नन्दा जाति बलाई सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
- प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. पैरोकार तहसीलदार।

02. एकपक्षीय - प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955



:- निर्णय :-

दिनांक :- 12 / 02 / 2026

संक्षेप मे बादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने बादपत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 184/164 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 241/164 रकबा 0.7689 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 184/164 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 241/164 रकबा 0.7689 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि में खातेदारों की मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 184/164 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 241/164 रकबा 0.7689 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि पर मौके पर अवैध खनन कार्य होकर वर्तमान में मौके पर रलाव पड़ा होने से यह प्रतीत होता है कि खातेदारान सद्भावी कृषक नहीं हैं।

अतः प्रतिवादीगण को ग्राम देवीनिवास की आराजी नम्बर 184/164 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 241/164 रकबा 0.7689 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि से बेदखल किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण को नोटिस/ रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाई गई। जो शामिल पत्रावली हैं। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। जिसका अंकन ऑर्डरशीट पर किया है।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम देबीनिवास का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श-1 हैं, ग्राम देबीनिवास की जमाबन्दी नकल संवत् 2076-2079 पेश की हैं।

प्रकरण में वादी ने पी-डब्ल्यू- 1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली हैं।

पी-डब्ल्यू-1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी ने अपने बयान में लिखाया कि मेरे द्वारा दिनांक 17.11.2025 को मौका पर्चा बनाया गया। मौका पर्चा के सभी तथ्य सही हैं। तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 17.11.2025 को ग्राम देवीनिवास के आराजी नम्बर 184/164 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 241/164 रकबा 0.7689 हैक्टेयर भूमि का मौका पर्चा मेरे द्वारा बनाया गया। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त आराजी में खनन कार्य होकर वर्तमान में मौके पर रलाव पड़ा हुआ है। उक्त आराजी का उपयोग कृषि हेतु नहीं किया जाकर अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा है।



लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 03

उक्त प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया।

प्रकरण में पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादी के बयान के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

—: आदेश :-

अतः मौजा ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 184/164 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 241/164 रकबा 0.7689 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 12 / 02 / 2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

तादपत्र संख्या 74/2025

दायर दिनांक 02.12.2025

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

बनाम्

..... डिक्रीदार

1. खन्नी पुत्री भंवरलाल जाति रेगर सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
 2. छीतरलाल पुत्र मोडूलाल जाति रेगर सा. कास्यां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
 3. सरजू पुत्री भंवरलाल जाति रेगर सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
 4. सीताराम पुत्र नन्दा जाति बलाई सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
-मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 12 / 02 / 2026

डिक्री दिनांक : 12 / 02 / 2026

—: डिक्री :—

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादीगण एकपक्षीय के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :-

मौजा ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 184/164 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी व आराजी नम्बर 241/164 रकबा 0.7689 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहसीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या 02 पर



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

नीज Nil मुबलिंग Nil
 बाबत् Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil
 फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nil
 का अदा करे ।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 02 वर्ष
 2026 को जारी किया गया ।

(अजीत/सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील () खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील () खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		



(अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां